कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉं तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2019/

लखनऊ:दिनांक 09 अगस्त, 2019

यू0पी0 नीट यू0जी0–2019 के अन्तर्गत मॉप–अप राउन्ड हेतु समय–सारिणी तथा आवश्यक दिशा–निर्देश

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम (एम0बी0बी0एस/बी0डी0एस) में प्रवेश हेतु मॉप–अप राउन्ड की समय सारिणी निम्नवत् है:–

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक 13 अगस्त 2019 मध्यान्ह 12:00 बजे से 16 अगस्त 2019 तक
मेरिट लिस्ट जारी किये जाने की सम्भावित तिथि	दिनांक 17 अगस्त 2019
राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक 19 अगस्त 2019 पूर्वान्ह 11:00 बजे से
निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक 20 अगस्त 2019 पूर्वान्ह 11:00 बजे से
निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों की सीटों हेतु आवंटन की तिथि	दिनांक 21 अगस्त 2019 से 22 अगस्त 2019 को प्रातः 11 बजे से
प्रवेश की तिथि	आवंटन की तिथि को ही प्रवेश प्रकिया सम्पन्न होगी। On Spot Admission

- मॉप–अप राउन्ड का आयोजन **के0जी0एम0यू0 लखनऊ के कलाम सेंटर** में किया जायेगा।
- मॉप–अप राउन्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिन्हे यू0पी0 नीट यू0जी0 2019 की प्रथम एवं द्वितीय चक की कांउसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- यू0पी0 नीट यू0जी0 2019 की प्रथम या द्वितीय चक की कांउसिलिंग से आवंटन प्राप्त/प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग–पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉप–अप राउन्ड हेतु अर्ह नही है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो बी0डी0एस0 पाठ्यकम में प्रवेशित है, वे अभ्यर्थी बी0डी0एस0 पाठ्यकम से त्याग–पत्र देते हुये मूल अभिलेखों के साथ एम0बी0बी0एस0 पाठ्यकम हेतु आयोजित मॉप–अप राउन्ड की प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है। मूल अभिलेख न होने की दशा में मॉप–अप राउन्ड की प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि एवं शिक्षण शुल्क की धनराशि स्वतः जब्त हो जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट मॉप–अप राउन्ड हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- मॉप–अप राउन्ड में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी रू0 1000/– पंजीकरण शुल्क ऑन–लाइन प्रकिया से नेट बैंकिग/डेबिड कार्ड/केडिट कार्ड के माध्यम से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेब–साईट ***https://upneet.gov.in*** पर पंजीकरण करा सकते है।
- राजकीय क्षेत्र के सीटों हेतु रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार मात्र), निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यकम की सीटों हेतु रू0 200,000/– (रू0 दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र की बी0डी0एस0 पाठ्यकम की सीटों हेतु रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) की सिक्योरिटी धनराशि का **सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट** जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training,U.P) Payable at Lucknow** के पक्ष में देय हो, आवंटन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नगद (Cash) नही जमा की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि पूर्व मे जमा है, उन्हें पुनः सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी को जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि से संबंधित रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी के मूल प्रमाण–पत्र जमा कराते हुये On Spot प्रवेश प्रकिया पूर्ण की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- मॉप–अप राउन्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश के संबंध में विचार नही किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही सम्बन्धित मेडिकल/डेंटल कालेज का शिक्षण शुल्क संबधित कालेज के काउन्टर पर ऑन–स्पाट जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही सम्बन्धित मेडिकल/डेंटल कालेज का शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training,U.P) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, निजी क्षेत्र में मेडिकल

कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय हेतु रू0 8.50 लाख न्यूनतम एवं निजी क्षेत्र के डेंटल कालेज हेतु रू0 1.37 लाख न्यूनतम का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजो की निर्धारित शिक्षण शुल्क के अन्तर की धनराशि आवंटित/प्रवेशित मेडिकल/डेंटल कालेज के काउन्टर पर ऑन-स्पाट जमा की जायेगी।
- मॉप-अप राउन्ड की कार्यवाही सीटें उपलब्ध होने तक ही की जायेगी, तथा पुनरावंटन (Reshuffling) अनुमन्य नही होगी।
- यदि मॉप-अप राउन्ड के सम्पन्न होने के पश्चात् निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटें रिक्त रह जाती है तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से ऑन-लाईन पंजीकरण के समय ही विकल्प (Choice) प्रस्तुत करना होगा।
- यदि भारत सरकार द्वारा तिथियों में परिवर्तन किया जाता है या परसेनटाईल कम किया जाता है तो विभागीय वेब-साईट ***www.updgme.in*** **पर सूचनायें प्रदर्शित की जायेगी।**
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट ***https://upneet.gov.in & www.updgme.in*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक

संख्या-एम0ई0-3/2019/2507 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5. रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, तथा प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय मेडिकल कालेज, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
6. **मेसर्स, एम0एम0 एडवरटाईजिंग, लखनऊ**, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के कानपुर, गोरखपुर तथा झॉसी, दैनिक हिन्दुस्तान के लखनऊ, प्रयागराज तथा वाराणसी एवं अमर उजाला के आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ, मेरठ तथा बरेली के संस्करणों में **दिनांक 11 अगस्त 2019** को सूक्ष्म अक्षरो, न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।
7. सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना विभाग की वेबसाईट ***www.updgme.in*** पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
8. प्रभारी अधिकारी, के0जी0एम0यू0, कलाम सेंटर लखनऊ को इस निर्देश साथ कि दिनांक 18 अगस्त 2019 से 22 अगस्त 2019 तक के लिये कलाम सेंटर आरक्षित करने का कष्ट करें।
8. आहरण-वितरण अधिकारी/कैशियर चिकित्सा शिक्षा।
9. शिविर सहायक, महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
10. नाजिर, चिकित्सा शिक्षा।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।